



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 329]

No. 329]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 26, 1998/ज्येष्ठ 5, 1920
NEW DELHI, TUESDAY, MAY 26, 1998/JYAISTHA 5, 1920

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 1998

का. आ. 457 (अ).—संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) के अनुसरण में राष्ट्रपति एतद्वारा निदेश देते हैं कि किसी संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक (जिसे प्रशासक या उप-राज्यपाल कहा जाता है) राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन और अगले आदेश होने तक संघ राज्य क्षेत्र में लॉटरी (विनियमन) अध्यादेश, 1998 (1998 का अध्यादेश 6) के अन्तर्गत राज्य सरकार की शक्तियों का उपभोग करेगा तथा उन सभी कार्यों को सम्पन्न करेगा जो राज्य सरकार द्वारा किए जाते हैं।

[फा. सं०-यू.-11030/1/97-यू.टी.एल.]

पी. के. जलाली, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May, 1998

S.O. 457 (E).—In pursuance of clause (1) of Article 239 of the Constitution, the President hereby directs that the Administrator (whether known as Administrator or Lieutenant Governor) of a Union territory shall, subject to the control of the President and until further orders, exercise the powers and discharge the functions of a State Government under the provisions of the Lotteries (Regulation) Ordinance, 1998 (Ord. 6 of 1998), within that Union Territory.